बिल का सारांश

डेंटिस्ट (संशोधन) बिल, 2016

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 19 जुलाई, 2016 को लोकसभा में डेंटिस्ट (संशोधन) बिल, 2016 पेश किया। यह बिल डेंटिस्ट एक्ट ,1948 में संशोधन करता है। इस एक्ट में डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) के गठन का प्रस्ताव है। डीसीआई निम्नलिखित को रेगुलेट करता है: **(i)** कॉलेजों, पाठ्यक्रम को शुरू करने या सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुमति, **(ii)** डेंटिस्टों का पंजीकरण और **(iii)** डेंटिस्टों के प्रोफेशनल व्यवहार के मानक आदि।
- बिल डेंटिस्ट अध्यादेश (संशोधन), का 2016 स्थान लेगा। बिल कहताहै कि इसके प्रावधान 24 मई, से लागू माने जाएंगे। 2016
- बिल में डेंटल कॉलेजों के लिए समान भर्ती परीक्षा को प्रस्तावित किया गया है। यह स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर लागू होगा।
- बिल में कहा गया है कि अगर कोई राज्य समान भर्ती परीक्षा का चयन नहीं करता, तो शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के लिए स्नातक स्तर पर ऐसी परीक्षा नहीं कराई जाएगी। यह प्रावधान राज्य सरकार के कॉलेजों और निजी डेंटल कॉलेजों में राज्य सरकार की सीटों पर लागू होगा।
- बिल कहता है कि प्रवेश परीक्षा का आयोजन हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में किया जाएगा।
- बिल निम्नलिखित के संबंध में रेगुलेशन बनाने के लिए डीसीआई को अधिकार देता है: **(i)** परीक्षा कराने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति, **(ii)** परीक्षा के आयोजन का तरीका और **(iii)** अंग्रेजी और हिंदी के अतिरिक्त उन भाषाओं के संबंध में निर्देश जिनमें परीक्षाएं कराई जा सकती हैं।

यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

दिपेश सुवर्ण
dipesh@prsindia.org

25 जुलाई, 2016